

02.08.22

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक 1325 दिनांक 29.07.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वकील वादीगण द्वारा 100/- रुपये का नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेश कर माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री करने का निवेदन किया। अतः भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा तहसील गुड़ामालानी के पटवार क्षेत्र बारासण के राजस्व ग्राम बोरली के खेत खसरा नम्बर 1239, 874/9 रकबा कमशः 1.1493, 3.1565 हैक्टेयर एवं पटवार क्षेत्र गुड़ामालानी के राजस्व ग्राम मोटी ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1229/1 रकबा 1.7159 हैक्टेयर भूमि का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर माफिक विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है:-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	गांव का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	बरंग
1	केलीदेवी पत्नी पारसाराम हि. 1/2 नेनूदेवी पत्नी कुम्पाराम हि. 1/6 पारसाराम पुत्र कुम्पाराम हि. 1/6 सुरेश पुत्र कुम्पाराम हि. 1/6 जाति रबारी सा. देह खातेदार	बोरली	874/9	2.8408	बा.दो.	2.58	हरा
2	मानजीराम पुत्र आईदानराम पूर्ण हिस्सा जाति रबारी सा. देह खातेदार रहन SBBJ शाखा गुड़ामालानी	बोरली मोटीढाणी	874/9	0.3157	बा.दो.	0.29	गुलाबी
			1239	0.5666	बा.दो.	0.52	
			1229/1	0.8660	बा.दो.	0.79	
			3	1.7483	बा.दो.	1.50	
3	भलाराम पुत्र आईदानराम पूर्ण हिस्सा जाति रबारी सा.देह खातेदार	बोरली मोटीढाणी	1239	0.5827	बा.दो.	0.53	नीला
			1229/1	0.8499	बा.दो.	0.81	
			2	1.4326	बा.दो.	1.34	

भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार अमल दरामद कर अलग अलग खाता नम्बर अंकित किया जावे। संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इसी प्रकार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/8/22 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी



डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाक्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी
व इजलास श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

वादीगण

1. पारस पुत्र कुंपाराम
2. सुरेश पुत्र कुंपाराम
3. नेनूदेवी पत्नी कुंपाराम
4. केलीदेवी पत्नी पारसाराम

जाति रबारी साकिन बोरली, बारासण तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नानजीराम पुत्र आईदानराम
2. भलाराम पुत्र आईदानराम
जाति रबारी निवासी बोरली, बारासण तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
3. भूमिपति जरिये तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :- 39/2022

निर्णय दिनांक :- 2-8-22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई

व ... अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि भूमि धारक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा तहसील गुडामालानी के पटवार क्षेत्र बारासण के राजस्वग्राम बोरली के खेत खसरा नम्बर 1239, 874/9 रकबा कमषः 1.1493, 3.1565 हैक्टेयर एवं पटवार क्षेत्र गुडामालानी के राजस्व ग्राम मोटी ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1229/1 रकबा 1.7159 हैक्टेयर भूमि का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर माफिक विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री पारित की जाती है :-

क्र.सं.	खातेदार का नाम व पता	गांव का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	बरंग
1	केलीदेवी पत्नी पारसाराम हि. 1/2 नेनूदेवी पत्नी कुम्पाराम हि. 1/6 पारसाराम पुत्र कुम्पाराम हि 1/6 सुरेश पुत्र कुम्पाराम हि. 1/6 जाति रबारी सा. देह खातेदार	बोरली	874/9	2.8408	बा.दो.	2.58	हरा
2	मानजीराम पुत्र आईदानराम पूर्ण हिस्सा जाति रबारी सा. देह खातेदार रहन SBBJ शाखा गुडामालानी	बोरली मोटीढाणी	874/9 1239 1229/1	0.3157 0.5666 0.8660	बा.दो. बा.दो. बा.दो.	0.29 0.52 0.79	गुलाबी
			3	1.7483	बा.दो.	1.50	
3	भलाराम पुत्र आईदानराम पूर्ण हिस्सा जाति रबारी सा.देह खातेदार	बोरली मोटीढाणी	1239 1229/1	0.5827 0.8499	बा.दो. बा.दो.	0.53 0.81	नीला
			2	1.4326	बा.दो.	1.34	

भूमि धारक तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार अमल दरामद कर अलग अलग खाता नम्बर अंकित किया जावे। संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 2/8/22 को जारी की गई।

(प्रमोद कुमार)

श्रीमान सहायक कलक्टर महोदय,
गुडामालानी जिला बाडमेर



वादीगण:-

1. पारस पुत्र श्री कुंपाराम उम्र 26 वर्ष
2. सुरेश पुत्र श्री कुंपाराम उम्र 20 वर्ष
3. नेनुदेवी पत्नी स्व० कुंपाराम उम्र 45 वर्ष
4. केलीदेवी पत्नी पारसाराम उम्र 23 वर्ष
कौम रबारी साकिन बोरली बारासण
तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादी :-

1. नानजीराम पुत्र श्री आईदानराम उम्र 45 वर्ष
2. भलाराम पुत्र आईदानराम उम्र 43 वर्ष
कौम रबारी साकिन बोरली बारासण
तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर ।
3. भूमिपति जरिये तहसीलदार गुडामालानी ।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 53 ,188 रा० का० अधिनियम
वास्ते बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

महोदयजी,


वादीगण का वाद निम्न प्रकार से है :-

1. कि वादीगण व प्रतिवादी के नाम की सयुक्त खातेदारी भूमि पटवार मण्डल बारासण के ग्राम बोरली के खेत खसरा नम्बर 1239, 874/9 क्षेत्रफल क्रमश 1.1493, 3.1565 हैक्टेयर कुल 4.3058 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम बा. दोयम व पटवार मण्डलन गुडामालानी के ग्राम मोटी ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1229/1 क्षेत्रफल 1.7159 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम का आया हुआ है । जिसके हम पक्षकारान रिकर्डेड खातेदार

पारस देवासी

है । जिसमे हम वादीगण संख्या 1 से 3 का 1/12-1/12 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 4 का 1/4 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है जिसकी नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति सलग्न है ।

2. कि वादीगण संख्या 1 से 3 का उपरोक्त खेत खसरान की भूमि में 1/12-1/12 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 4 का 1/4 हिस्सा खातेदारी का है जिसमें वादीगण का घर बांडा टाका कृषि कनेक्शन कब्जा काशत है, वर्षात के दिनों में तथा रबी की सीजन में हम वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर लगातार काशत करता आ रहा है ।
3. कि अर्सा आज से 15 दिन पूर्व वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर उनालु काशत करने गये तो प्रतिवादी ने वादीगण को काशत करने से रोक ओर कहा की हम प्रतिवादी संख्या बल में अधिक व पहुंच वाले है । हम उक्त खसरा की सम्पूर्ण भूमि पर काशत कर लेंगे मैं आपके कब्जा सुदा भूमि में जबरदस्ती उनालु बाजरी भूमि के अन्दर नहीं आने देंगे । वादीगण संख्या 01 से 4 ने कहा की हम हमारे हिस्सा पर वर्षों से काबिज है तथा भी इसी हिस्से में काशत करते आ रहे है । तथा हमारे पूर्वजों का मौके पर बहामी बंटवारा किया हुआ है । आप अपने हिस्से में काशत करो लेकिन वर्तमान में प्रतिवादी की नियत में खोट पैदा हो गया ओर प्रतिवादी नाराज होकर आवेश में आकर झगडा फसाद पर उतारू हो गये तथा हमारे हिस्से की जमीन पर जबरन काशत करने की धमकी दी तथा किसी अजनबी को सडक के पास वाली भूमि बैचने की धमकी दी ऐसी स्थिति में वादीगण उपरोक्त पटवार मण्डल बारासण के ग्राम बोरली के खेत खसरा नम्बर 1239, 874/9 क्षेत्रफल क्रमश 1.1493, 3.1565 हैक्टेयर कुल 4.3058 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम बा. दोयम व पटवार मण्डलन गुडामालानी के ग्राम मोटी ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1229/1 क्षेत्रफल 1.7159 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम का आया हुआ है में वादीगण संख्या 1 से 3 का अपना 1/12-1/12 हिस्सा व वादीसंख्या 4 का अपना 1/4 हिस्सा कब्जा काशत अनुसार घोषित करवाने का अधिकारी है इसलिए यह वाद बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पैश है ।
4. कि वादीगण अपने हिस्से की भूमि को समतल कर तथा खाद मिटी आदि डालकर उपजाउ की तथा ओर अधिक उपजाउ बनाना चाहता है वह सरकारी एजेन्सी से ऋण लेना चाहता है । लेकिन उक्त भूमि सामलाती होने से वादी को कई प्रकार की अडसने पैदा हो रही है । प्रतिवादीगण वादीगण की उपजाउ जमीन को व सडक पर किमती जमीन को हडपना चाहता है । तथा शरद ऋतु में काशत करने में व्याधान पैदा करते है तथा पुरानी सेढा माठ को तोडते है इस समस्या से निजात पाने हेतु



चारस दूकसी